

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1841

(जिसका उत्तर मंगलवार, 04 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को वित्तीय आवंटन

1841 श्री सज्जाद अहमद किचलू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर को एक पूर्ण राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं के बावजूद संघ राज्य क्षेत्र के मानकों के अनुसार वित्तीय आवंटन प्राप्त हो रहा है, और चालू वित्तीय वर्ष के लिए इससे उत्पन्न अनुमानित वित्तीय अंतर कितना है; और

(ख) क्या संवर्धित विशेष सहायता देने पर विचार किया जा रहा है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) जम्मू और कश्मीर सरकार, विधानसभा युक्त एक संघ राज्य क्षेत्र होने के नाते, अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए आवंटन को प्राथमिकता देता है जैसाकि इसके वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) में पेश किया जाता है और जिसे जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभा द्वारा अनुमोदित और पारित किया जाता है। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत जम्मू-कश्मीर को वित्तीय आवंटन प्रदान करने के साथ-साथ जम्मू एवं कश्मीर की प्राप्ति और व्यय के बीच के अंतर को पूरा करने में सहायता करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। बजट अनुमान 2026-27 में, इस प्रयोजन के लिए 42,650.27 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता आवंटित की गई है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने बजट अनुमान 2026-27 में 11,685 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे (घाटा) का अनुमान लगाया है।

(ख) भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को अनुदान के रूप में दी जाने वाली सहायता, अनुदान की मांग "जम्मू और कश्मीर को अंतरण" के माध्यम से वित्त वर्ष 2020-21 में 30,757 करोड़ रुपये से बढ़कर बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार 43,290.29 करोड़ रुपये हो गई है।
